वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम–114

जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर
(वाणिज्य विभाग)

क्र. /अ.प्र.नि. /जोधपुर डिस्काम / अनु.. सी I / फ. / पत्रा /प्रे.सं.238 दिनॉक 6/5/02

आदेश

विषय :– घरेलू अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओ से बकाया राशि वसूली के लिये रियायती योजना ।

1. घरेलू अघरेलू एवं कृषि श्रेणी के अनेक उपभोक्ताओं में निगम के विद्युत बिलों की काफी मूल राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डी.पी.एस) भी बढता जा रहा है । यद्यपि निगम ने गत वर्ष इस प्रकार की योजना लागू की थी परन्तु किन्ही कारणो से उपभोक्ता इसका लाभ नहीं उठा पायें । अतः निगम ने इस बारे में विचार कर ऐसे उपभोक्ताओ से बकाया राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओ को प्रोत्साहित करने के लिये यह निर्णय लिया है कि निगम की 31.03.2002 तक की मूल बकाया राशि यदि उपभोक्ता एक मुश्त 31 मई 2002 तक जमा करा देंगे तो उनकी डी.पी.एस. /ब्याज की राशि माफ कर दी जावें ।

2. यदि उपभोक्ता उपरोक्त बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने में असमर्थ हो तो ऐसे उपभोक्ताओ को किश्त में जमा करने का विकल्प भी दिया जाएगा । किन्तु किश्तों मे जमा कराने पर उनको डी.पी. एस./ब्याज में 75 प्रतिशत छूट ही देय होगी । उपभोक्ता को उपरोक्त प्रकार से ऑकी गई राशि 50 प्रतिशत 31 मई 2002 तक जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि को उसे अधिकतम तीन द्विमासिक किश्तों द्वारा जमा करानी होगी ।

3. यदि डी.पी.एस. की राशि संबधित लेखों से निकालना सम्भव ना हो तो यह भी निर्णय लिया गया है कि :–

(1) कटे हुए कनेक्शन से ब्याज माफी के अतिरिक्त जब से बकाया चल रहा है (अगस्त 97 के बाद , क्योंकि पूर्व में डी.पी.एस. नहीं लगता था) से कनेक्शन कटने के महिने तक ,जितने माह का समय होता है उतनी प्रतिशत (1 प्रतिशत प्रतिमाह) की बकाया बिल में अतिरिक्त छूट (डी.पी.एस. के पेंटे)देकर बकाया राशि ली जाएगी । उपरोक्त ब्याज एवं डी.पी.एस. में छूट एक मुश्त राशि जमा करान पर ही देय होगी । किश्तो मे जमा कराने पर बयाज में पूरी छूट के स्थान पर 75 प्रतिशत छूट तथा डी.पी.एस. के लिये एक प्रतिशत प्रतिमाह के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह देय होगी ।

(2) जिन उपभोक्ताओ की ओर राशि बकाया है , परन्तु विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं है , से अन्तिम बकाया बिल (31.03.2002) में जुलाई 97 के बाद जितने माहों से बकाया चली आ रही है ,उससे एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से छूट भुगतान माह तक देते हुए बकाया राशि वसूल की जावें ।उपरोक्त छूट एक मुश्त राशि जमा कराने पर देय होगी ,किश्तो मे जमा कराने पर डी.पी.

एस. के लिये उक्त छूट एक प्रतिशत के स्थान पर 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह देय होगी ।यह रियायत योजना 06.05.2002 से लागू होकर 31 मई,2002 तक वैध रहेगी।

नोट :–

1. उपरोक्त प्रकार से छूट की गणना करने को स्पष्ट करने के लिये उदाहरणार्थ काल्पनिक प्रकरण में 1000 रूप्ये बकाया राशि मानकर संलग्न सारिणी में पूर्ण विवरण दिया जा रहा है । जिससे कि गणना करने में त्रुटि/संशय ना रहे ।

2. इस रियायत योजना के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क/ब्याज की छूट देने के लिये सम्बन्धित सहायक अभियंता संक्षम होगें ।

3. इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लियें उपभोक्ता द्वारा यदि बकाया से संबंध में कोई कोर्ट केस विचाराधीन हो तो उसे वापस लेना होगा ।

4. यदि उपभोक्ता योजना के अनुसार समय पर राशि जमा कराने मे असफल रहता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा ।

5. इस योजना के अन्दर कटे हुए कनेक्शनो को पुनः चालू करवाना आवश्यक नहीं है ।पुनः चालू करने के लियें सामान्य नियम लागू होगे ।

6. यह योजना उन पर लागू नहीं होगी जिन्होनें इसी प्रकार की सन 2000 यां 2001 में जारी रियायती योजना में लाभ ले लिये था ।

7. यह योजना चोरी या अनियमितता(**Malpractice**) की राशि के लिये लागू नहीं होगी ।

8. उपरोक्त रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप के अनुसार भरकर सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

9. इस योजना की प्रगति के बारे में जिसमें वसूली गई मूल राशि , डी.पी.एस./ब्याज में दी गई छूट , एवं किश्तो में वसूली जाने वाली राशि दर्शायी जायेगी जिसे संम्बन्धित अधीक्षण अभियंता द्वारा (वृत्त स्तर पर) प्रत्येक सप्ताह मुख्य लेखाधिकारी , जोधपुर डिस्काम को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(ए. एम. लोढा)
अधीक्षण अभियंता(वाणिज्य)
जोधपुर डिस्काम , जोधपुर

आवेदन पत्र अन्तर्गत
रियायत योजना 2002

(घरेलू/अघरेलू/कृषि श्रेणी)

सहायक अभियंता (   )
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
——— ———————————— ।

महोदय ,

मैं रियायत योजना 2002 के अन्तर्गत लाभ उठाना चाहता हूँ । मेरे कनेक्शन का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1. उपभोक्ता का नाम एवं पता :–

2. उपभोक्ता की श्रेणी :–

3. उपभोक्ता का खाता संख्या :–

4. संम्बधित कार्यालय का नाम जहॉ से बिल जारी होते है । :–

5. विद्युत संम्बध विच्छेद है अथवा चालू है । :–

6. उपभोक्ता एक मुश्त राशि जमा कराना चाहता है अथवा किश्तों में जमा करना चाहता है । :–

7. प्रमाणित किया जाता है कि मैने , सन 2000 या 2001 में जारी रियायती स्कीम में फायदा नहीं लिया था ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि मैरे पर बकाया राशि विद्युत चोरी **(Theft)** में अनियमितता **(Malpractics)** के मद में नहीं है ।

9. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा उपरोक्त विद्युत संम्बध के बारे में कोई कोर्ट केस लंबित नहीं है ।

अथवा

मैरे उपरोक्त विद्युत संबध के बारे में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विरूद्ध जो कोर्ट केस लंबित है , उसे वापिस लेने के लिये सहमत हूँ ।

दिनॉक :–

आवेदक के हस्ताक्षर

जोधपुर विद्युत वितरण निगत लिमिटेड

(अ) कटे हुए कनेक्शन के लियं :–

क्र.स.	संबंध विच्छेद तिथि (01.04.2002 से पूर्व)	संबध विच्छेद तिथि को बकाया	ब्याज 18% प्रति वर्ष (31.05.2002 तक)	कुल राशि	देरी से भुगतान अधिभार में अधिकतम छूट	स्कीम का विकल्प	छूट की कुल राशि	कुलदेय राशि
1.	अगस्त, 1997 से पूर्व	1000/–	870/–रू	1870/–	——	अ)समस्त राशि एक मुश्त	870/–	1000रू
						ब) 50% राशि एक मुश्त एवं 50% तीन किश्तो में	653/– (870 का 75%)	1217रू
2	जुलाई , 1998	1000/–	690/–रू	1690/रू	12% (12 माह अगस्त 97से जुलाई,98) 120/–रू	अ)समस्त राशि एक मुश्त	810/–	880रू
						ब) 50% राशि एक मुश्त एवं 50% तीन किश्तों में	608/ (810 का 75%)	1082रू

(ब) चालू कनेक्शन के लिये:–

बकाया राशि कब से	बकाया राशि (31.03.02 को)	देरी से भुगतान अधिभार में अधिकतम छूट	स्कीम का विकल्प	वास्तविक छूट की राशि	कुल देय राशि
अगस्त 2000 से	1000/– रू	22%(22 माह अगस्त 2000 से मई 2000 तक) 220 रू	अ)समस्त राशि एक मुश्त	220/– रू	1000–220=780रू
			ब) 50%राशि एक मुश्त एवं 50%तीन किश्तों में	170/–रू (220 का 75%)	1000–165=835रू